अध्याय - 10

प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्रों में हिन्दी की स्थिति
(समिति के दिनांक 30.08.2006 के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मौखिक साक्ष्य पर आधारित समीक्षा)

10.1 किसी भी क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ युवाओं कk योगदान परम आवश्यक होता है। इसी प्रकार प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग सुनिश्चित करने के लिए हम जब तक युवाओं को साथ लेकर नहीं चलेंगे, सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अंग्रेजी के पक्षधरों के अलावा हिन्दी के समर्थक भी यह तर्क देते हैं कि हिन्दी आधुनिक ज्ञान-विज्ञान को वहन करने में समर्थ नहीं है। इसी तर्क के आधार पर आज युवा वर्ग हिन्दी को अपनाने में झिझक महसूस करता है। हमें हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने के साथ ही इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की समर्थ भाषा बनाए जाने के लिए भी प्रचार करना चाहिए था। इस दिशा में गत वर्षों में काफी प्रशंसनीय कार्य हुआ है। यह कहना कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दी से काम नहीं चलने वाला, एक दुष्प्रचार है। आज देश में अनेक संस्थान, प्रतिष्ठान व प्रयोगशालाएं हैं जहां हिन्दी के माध्यम से कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। हिन्दी भाषा का साहित्य अत्यंत समृध्द है और यदि हम एक भाषा के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में इतने आगे बढ सकते हैं तो क्या इस भाषा का उपयोग कर हम ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते? भौतिकी, रसायन, खगोलीय विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र - सभी विषयों पर हिन्दी में लिखा जा सकता है और जिन लोगों ने ऐसा किया है, उनकी किताबों का युवा पीढी ने खूब स्वागत किया है। राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय जगत में हिन्दी की मजबूती के लिए भाषा की सरलता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह दौर अब जल्दी खत्म होना चाहिए क्योंकि युवा पीढी सरल भाषा और ज्ञान-विज्ञान के मौलिक ग्रंथों की मांग करती है। भाषा के विकास के लिए अनिवार्य है कि प्रारंभिक पढाई मातृभाषा में हो। फिर यह तय है कि जब आप अपनी भाषा का सम्मान करेंगे तो विदेशियों को भी ऐसा करने पर मजबूर होना पड़ेगा और इंटरनेट आदि पर अंग्रेजी की प्रमुखता समाप्त हो जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा स्तर पर हिंदी की स्थिति

10.2 किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति को शिक्षित/प्रशिक्षित किए जाने के लिए उसे यदि प्रारंभिक स्तर से ही इसके लिए शिक्षा दी जाए तो वह निश्चय ही उस क्षेत्र विशेष में शीघ्रता से दक्ष हो सकता है । इसी प्रकार यदि विद्यार्थियों को प्रारंभ से ही हिन्दी भाषा पढाई जाएगी तो वे भविष्य में इसका सदुपयोग सरकारी कामकाज में भी सफलतापूर्वक कर पाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हिन्दी भाषा का पठन अनिवार्य बनाए जाने के लिए सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। सी.बी.एस.ई. तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी विद्यालयों में दसवीं कक्षा तक हिन्दी विषय को अनिवार्य किए जाने की भी आवश्यकता है। यदि केन्द्रीय विद्यालयों में दसवीं स्तर तक हिन्दी विषय को अनिवार्य कर दिया जाता है तो इससे प्रभावित हो वे राज्य, जहाँ अभी तक दसवीं स्तर तक हिन्दी अनिवार्य विषय नहीं है, इसे अनिवार्य करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं जो हिन्दी भाषा के सुनहरे भविष्य के लिए शुभ संकेत होंगे।

10.3 दिनांक 26-07-2007 के अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र "द हिंदुस्तान टाइम्स" के अंक में छपे एक लेख के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कम्प्यूटर की शिक्षा एवं इसे सीखने के लिए अंग्रेजी भाषा के ज्ञान की अनिवार्यता बताते हुए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में कक्षा-3 से अंग्रेजी भाषा अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है । यह भी लिखा गया है कि यदि राज्य अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में अपनाते हैं तो सरकार प्राथमिक स्तर पर सूचना, संचार और प्रशिक्षण आई सी टी कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त धनराशि देने के लिए तैयार है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मत है कि अंग्रेजी ज्ञान के बिना कम्प्यूटर ज्ञान में दक्षता प्राप्त नहीं की जा सकती । सरकार के इस अभिमत से आशंका होती है कि कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजी को हिंदी के बदले पूर्णत: प्रतिस्थापित तो नहीं कर दिया जाएगा । यह निश्चय ही ग्रामीण एवं छोटे शहरों में बसने वाली आबादी के विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड. होगा ।

10.4 मिज़ोरम देश के सुदूर क्षेत्र में बसा एक राज्य है । दिनांक 13.12.2007 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के साथ विचार-विमर्श के दौरान समिति को जानकारी मिली कि वहां के विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है । वहाँ हिन्दी की शिक्षा को बढावा देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदान की सहायता से मिज़ोरम विश्वविद्यालय में एक हिन्दी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया था जिसके द्वारा हिन्दी के अध्यापकों को वार्षिक आधार पर अध्यापन कार्य के लिए रखा जाता था। इससे वहां हिंदी की शिक्षा में क्रमिक विकास हो रहा था किन्तु मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वह अनुदान बंद कर दिया गया जिसके फलस्वरूप मिज़ोरम विश्वविद्यालय को हिंदी अध्यापकों की सेवाएं समाप्त करनी पड़ी जिससे वहां हिन्दी में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन परिस्थितियों में वहां हिन्दी अध्ययन का वातावरण भी नहीं बन पाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को विश्वविद्यालय की शिक्षा से सम्बन्धित समिति तथा राज्य सरकार के साथ बातचीत कर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे मिज़ोरम के विश्वविद्यालय के साथ-साथ स्कूलों में भी हिन्दी शिक्षण का वातावरण बनs और वहां के विद्यार्थियों में हिन्दी शिक्षण के प्रति रूचि बढे। इसी प्रकार के प्रयास देश के सुदूर क्षेत्रों में बसे अन्य राज्यों विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में भी किए जाएं ताकि इन सुदूर क्षेत्रों में बसे राज्यों में हिन्दी को अपनाने का वातावरण बने।

10.5 मानव संसाधन विकास मंत्रालय एक ओर तो समिति को आश्वासन देता है कि माध्यमिक शिक्षा तक हिंदी को अनिवार्य करने के प्रयास किए जाएंगे, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के प्रस्ताव रखता है जिससे देश में अंग्रेजी को हिंदी के स्थान पर वरीयता प्राप्त हो जाएगी। यह चिंतनीय स्थिति है । समय-समय पर समिति अपने निरीक्षणों एवं मौखिक साक्ष्यों में यह मत देती रही है कि कम्प्यूटरों पर हिंदी शिक्षण अनिवार्य किया जाए तथा हिंदी के साफ्टवेयर बनाए जाएं । विभिन्न निरीक्षणों एवं मौखिक साक्ष्यों के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर समिति का यह मानना है कि मात्र राजभाषा विभाग के लिए देश में हिंदी शिक्षण अनिवार्य करना व्यावहारिक रूप से असंभव है । मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्वयं आगे आकर ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे देश में अनिवार्य रूप में हिंदी शिक्षण उपलब्ध कराया जा सके। प्रथम प्रयास के रूप से देश में माध्यमिक शिक्षा तक हिंदी को अनिवार्य करने की आवश्यकता है जिससे कि विद्यार्थियों के हिंदी ज्ञान का आधार मज**+¤ÉÚiÉ cÉä ºÉBÉEä***

उच्चत्तर शिक्षा (स्नातक/स्नातकोत्तर) स्तर पर हिंदी की स्थिति

10.6 उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थाओं को स्वायत्तताएं भी दी गई हैं। यह स्वायत्तता महत्वपूर्ण है। अधिकांश संस्थायें अपनी स्वायत्तता के प्रति बहुत सजग हैं और इसमें ज्यादा हस्तक्षेप करने की गुंजाइश भी नहीं है क्योंकि हमारे सभी विश्वविद्यालय या तो संसद के कानून द्वारा बनाए गए हैं या राज्यों की विधान सभाओं द्वारा पारित कानूनों के तहत बनाए गए हैं । इसमें केन्द्रीय सरकार या यूजीसी की न्यूनतम या नहीं के बराबर भूमिका है।

10.7 जहाँ तक विश्वविद्यालयों, विशेषकर राज्यों के विश्वविद्यालयों का प्रश्न है, वे ही तय करते हैं कि हिंदी शिक्षण कितना और किस स्तर पर दिया जाए। उनसे सिर्फ वातावरण बनाने का आग्रह किया जा सकता है किंतु यह उनके लिए बा यकारी नहीं है। उदाहराणार्थ, दिनांक 30.08.2006 को संपन्न मौखिक साक्ष्य में आचार्य प्रमोद टंडन, कुलपति पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय ने समिति को जानकारी दी कि पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय में हिंदी माधयम से शिक्षण नहीं दिया जाता क्योंकि पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके अनुसार उक्त विश्वविद्यालय में शिक्षण का माधयम केवल अंग्रेजी ही होगा। यह अत्यंत शोचनीय स्थिति है । इस तरह के प्रयासों को रोकने की आवश्यकता है। अगर ऐसा ही होता रहा तो अन्य कोई भी विश्वविद्यालय इस प्रकार से प्रस्ताव पारित कर शिक्षा का माधयम अंग्रेजी कर सकता है जिससे राजभाषा धीरे-धीरे अंग्रेजी से पिछड़ती जाएगी । इस संबंध मे समिति का मत है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सिद्धांत होना चाहिए और इस संबंध मे कानून बनाए जाने चाहिए । राजभाषा के रूप में हिंदी लागू करना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है । हिंदी को अपनाकर ही हम देश की जनता को आर्थिक और सामाजिक न्याय दे पाएंगे। आज इस बात की आवश्यकता है कि देश के सभी विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी शिक्षण लागू करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय आगे आकर एक कार्य योजना बनाए और एक समान कानून लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू करे तथा कानून बनाकर संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे।

10.8 समिति द्वारा दिनांक **30.08.2006** को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि हिन्दी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसने कुछ सुझाव दिए थे। उन सुझावों मे से प्रमुख सुझाव यह है कि तकनीकी विषय में लेखकों और अनुवादकों का चयन तथा विदेशी छात्रों को हिंदी पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों का चयन किया जाए। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है परन्तु अभी भी अधिकांश विश्वविद्यालयों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हिंदी विषय ही नहीं है । विश्वविद्यालयों को आयोग द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की जानकारी भी नहीं है । आयोग द्वारा इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों/सस्थानों को जानकारी देने की आवश्यकता है । बहुत से विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग ही नहीं है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अपेक्षा है कि जिन विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग नहीं है उन्हें अपने यहाँ हिन्दी विभाग खोलने के लिए वह प्रेरित करे तथा इस संबंध में आयोग द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता की पूरी जानकारी उन्हें दी जाए। यह कदम निश्चय ही राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को आगे

बढ़ाने में सहायक होगा। विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग होने से न केवल अपने विश्वविद्यालय से जुड़ी पाठय पुस्तकें तथा अन्य साहित्य हिन्दी में तैयार करने में मदद मिलेगी अपितु पूरे विश्वविद्यालय के वातावरण को हिन्दीमय बनाने में सहायक होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को ऐसे विश्वविद्यालयों का पता लगाकर वहाँ हिन्दी विभाग खोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ये विभाग हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने में सहायता दे सके ।

<u>प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पाठ्य पुस्तकों/शब्दकोशों /तकनीकी पुस्तकों की हिंदी में उपलब्धता</u>

10.9 आजादी के 60 वर्षों के पश्चात भी आज देश में विभिन्न विषयों पर हिंदी की मानक पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। इन्हें तैयार करने के लिए कोई ढांचा भी विकसित नहीं किया गया है। इसे तैयार करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिंदी विभागों से संपर्क किया जा सकता है। दिनांक 30.08.2006 को समिति द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ कुल 16 कार्यालयों का मौखिक साक्ष्य लिया गया जिसमें समिति की ओर से 17 माननीय सदस्यों तथा 17 कार्यालयाधयक्षों ने भाग लिया जिसका विवरण पृष्ठ 412 पर दिया गया है । वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के साथ विचार-विमर्श के दौरान समिति ने महसूस किया कि हिंदी के कठिन शब्दों के व्यावहारिक प्रयोग में कठिनाई आ रही है। समिति का मानना है कि शब्दावलियों की भाषा को आसानी से समझने एवं व्यावहारिक प्रयोग के लिए हिंदी के कठिन शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी शब्दों का यथावत हिंदी में प्रयोग किया जाए। हिंदी को उदार बनकर अन्य भाषाओं व बोलियों के शब्द ग्रहण करने होंगे ताकि हिंदी भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके।

10.10 सरकारी कार्यालयों/बैंको/संस्थानों आदि में अभी भी विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी अंग्रेजी शब्दों के भिन्न-भिन्न हिन्दी पर्याय प्रयोग में लाए जा रहे हैं जिससे राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए शीघ्र मानक शब्दावलियों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है। दिनांक **30.08.2006** को आयोजित मौखिक साक्ष्य के दौरान वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की ओर से समिति को आश्वासन दिया गया कि आयोग द्वारा जिन शब्दावलियों के निर्माण का कार्य चल रहा है, उसे यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही, इन शब्दावलियों में भाषा को आसानी से समझने एवं व्यावहारिक प्रयोग के लिए कठिन अंग्रेजी शब्दों का यथावत् हिन्दी में प्रयोग किया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शब्दावली पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। समिति का मत है कि उपर्युक्त सुविधाएं प्राप्त होने पर अंग्रेजी में विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों में हिन्दी पर्यायों में एकरूपता आएगी तथा इससे जटिल वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों को भी सरलता से हिन्दी में प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी।

10.11 विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम की पुस्तकें मूल रूप से हिंदी में लिखी जाएं न कि उनका अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया जाए। साथ ही हिंदी की पुस्तकें कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाएं जिससे विद्यार्थियों को इन्हें खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिल सके। प्राय: ऐसा देखने मे आया है कि विद्यार्थियों के लिए जो हिन्दी की पुस्तकें आदि तैयार की जाती है वे अनूदित होती है। अनुवाद की भाषा कई बार इतनी अटपटी होती है कि उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता। इस समस्या से निपटने के लिए हिन्दी में पाठ्य सामग्री तथा पाठय पुस्तकों को संबंधित विषयों के ऐसे विशेषज्ञ प्रोफेसरों, जिन्हें हिन्दी का भी ज्ञान हो, से ही तैयार करवाया जाए तथा उन्हें ही हिन्दी पाठ्य सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकों को सही रूप में उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी

बनाया जाए जिससे किसी प्रकार की त्रुटि रहने की संभावना न हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा हिन्दी विषयों पर मानक पुस्तकें हिन्दी में तैयार करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभागों से संपर्क किया जाए। हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए आई. आई. टी. दिल्ली ने एक सार्थक पहल की है। उन्होंने अपने अध्यापकों से हिंदी में पुस्तकें लिखवाने की योजना बनाई है। इसके तहत प्रो. आर.के. महेश्वरी ने ग्रामीण प्रौद्योगिकी पर हिंदी में पुस्तक भी लिखी है । कुछ अन्य प्रोफेसरों ने भी हिंदी में पुस्तक लिखने का प्रस्ताव किया है। तकनीकी क्षेत्र में हिंदी की पुस्तकों की उपलब्धता के संदर्भ में यह एक स्वागत योग्य शुरुआत है। इंजीनियरिंग विषय पर जो पुस्तकें हिंदी में उपलब्ध हैं उन्हें भी आई.आई.टी. दिल्ली के पुस्तकालय के लिए खरीदा जा रहा है। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष ने संसदीय राजभाषा समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य के दौरान स्वीकार किया कि आयोग ने स्वयं हिन्दी ग्रंथ अकादमियों तथा विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों के माध्यम से हिन्दी में पहले ही **2400** पुस्तकें तथा संदर्भ सामग्री प्रकाशित की हैं । मानव संसाधन विकास मंत्रालय स्वयं तथा अन्य शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान भी इस प्रकार के कदम उठाएं जिससे हिन्दी की पुस्तकों की उपलब्धता की समस्या को दूर किया जा सके तथा पाठ्य सामग्री के स्तर में भी सुधार हो।

शिक्षण-प्रशिक्षण में हिन्दी सामग्री की उपलब्धता

10.12 समिति द्वारा अब तक किए गए निरीक्षणों, मौखिक साक्ष्यों तथा विचार-विमर्श कार्यक्रमों के आधार पर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अधिकांशत: शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों में हिन्दी में शिक्षण-प्रशिक्षण नाम मात्र के लिए ही दिया जा रहा है। इसी प्रकार शिक्षण-प्रशिक्षण सामग्री भी हिन्दी में कम मात्रा में उपलब्ध है। स्कूली स्तर, स्नातक स्तर तथा विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर पर तो विद्यार्थियों के लिए हिन्दी की पाठ्य सामग्री अंग्रेजी के मुकाबले काफी कम मात्रा में उपलब्ध है। यदि शिक्षण-प्रशिक्षण सामग्री सरल हिन्दी में भी उपलब्ध करा दी जाए तो हिन्दी माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर छात्रों को निश्चय ही लाभ मिलेगा तथा वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाने वाले छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

10.13 <u>सिफारिशें</u>

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय को हिन्दी भाषा का पठन अनिवार्य बनाए जाने के लिए सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रथम प्रयास के रूप में देश में केन्द्रीय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों तथा केन्द्रीय विद्यालयों में दसवीं कक्षा तक हिन्दी को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए।

2. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने संसद तथा विधानसभाओं में कुछ कानून बनाए हैं जिसके अंतर्गत कुछ विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में केवल अंग्रेजी में ही शिक्षण प्राप्त किया जा सकता है । इस संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एक समान सिद्धांत होने चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी शिक्षण लागू करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय कार्य-योजना बनाए और एक समान कानून लागू करने के लिए प्रक्रिया शुरू करे तथा कानून बनाकर संसद के पटल पर रखे।

3. जिन विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में हिन्दी विभाग नहीं हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को उनका पता लगाकर वहाँ हिन्दी विभाग खोलने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि यह विभाग हिन्दी माध्यम से शिक्षा देने के लिए सहायता दे सकें।

4. जिन हिन्दीतर राज्यों में स्थित विश्वविद्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों की परीक्षाओं/साक्षात्कारों में परीक्षार्थियों को हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प नहीं दिया जाता है उनमें परीक्षार्थियों को हिन्दी में उत्तर देने का विकल्प प्रदान किया जाए।

5. हिन्दीतर राज्यों में स्थित स्वैच्छिक हिन्दी संस्थाओं को दिया जाने वाला अनुदान नाम मात्र का है । मानव संसाधन मंत्रालय इसे बढ़ाने के लिए ठोस कार्रवाई करे ।

6. हिन्दी में पाठ्य सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकों को संबंधित विषयों के ऐसे विशेषज्ञ प्रोफेसरों से ही तैयार करवाया जाए, जिन्हें हिन्दी का भी ज्ञान हो, तथा उन्हें ही हिन्दी पाठ्य सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकों को सही रूप में उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी बनाया जाए जिससे किसी प्रकार की त्रुटि रहने की संभावना न हो।

7. स्कूली स्तर, स्नातक स्तर तथा विशेषकर स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थियों के लिए हिन्दी की पाठ्य सामग्री अंग्रेजी के मुकाबले काफी कम मात्रा में उपलब्ध है। यदि शिक्षण-प्रशिक्षण सामग्री सरल हिन्दी में भी उपलब्ध करा दी जाए तो हिन्दी माधयम से शिक्षा प्राप्त छात्रों को निश्चय ही लाभ मिलेगा तथा वे अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा पाने वाले छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे।

8. ज्ञान-विज्ञान के मौलिक ग्रंथों को सरल हिन्दी में लिखा जाए ।

9. तकनीकी विषयों में लेखन के लिए हिन्दी लेखकों तथा अनुवादकों का चयन किया जाए तथा विदेशी छात्रों को हिन्दी पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों का चयन किया जाए।

10. विभिन्न निरीक्षणों, मौखिक साक्ष्यों तथा विचार-विमर्श कार्यक्रमों के दौरान समिति ने महसूस किया है कि हिंदी के कठिन शब्दों के व्यावहारिक प्रयोग में कठिनाई आ रही है। अत: हिन्दी की पाठ्य-सामग्रियों, शब्दावलियों आदि की भाषा को आसानी से समझने एवं व्यावहारिक प्रयोग के लिए हिंदी के कठिन शब्दों के स्थान पर अंग्रेजी शब्दों का यथावत हिंदी में प्रयोग किया जाए।

11. विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों के भिन्न-भिन्न हिन्दी पर्याय प्रयोग में लाए जा रहे हैं जिससे राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में काफी दिक्कतें आ रही हैं । अत: इसके लिए शीघ्र मानक शब्दावलियों का निर्माण किया जाना चाहिए जिससे अंग्रेजी के विभिन्न वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दों के हिन्दी पर्यायों में एकरूपता आ सके तथा जटिल वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों को भी सरलता से हिन्दी में प्रस्तुत किया जा सके ।

.....